

उप ठेकेदार के लिए संरक्षा कोड

कंपनी उप ठेकेदार को ठेका कार्य प्रदान करती है जब कंपनी के बुनियादी संरचना सुविधाएं ऐसे कार्य पूरा करने के लिए उचित नहीं हैं अथवा कार्य जो कंपनी की उत्पादन लागत की तुलना में अधिक किफायती हमारे यार्ड परिसर में कोई दुर्घटना घटित होती है जिसके परिणामस्वरूप जन की हानि होती है अन्यथा रूप में किसी संपत्ति की हानि होती है तो ठेकेदारी जिम्मेदारी होगी कि वह कंपनी के क्षति की भरपाई करें और सभी परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा जो हानि अथवा किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचने पर होगी जो इस घटना में शामिल होंगे।

यह ठेकेदार के लिए आवश्यक होगा कि वह मानक सावधानी सुनिश्चित करें जो एमडीएल में प्रचलित मानक के अनुसार हो और अपना कार्य पूरा करते समय पालन करना आवश्यक हो। संरक्षा के मामले में एमडीएल का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

- 1- ठेकेदार सभी संरक्षा सावधानियों का पालन अपने कार्य के सम्बंध में पालन करना चाहिए जो उनके एजेंट अथवा श्रमिकों द्वारा पूरा किया जायेगा।
- 2- ठेकेदार को संरक्षा के सम्बंध में लागू सभी नियमन, कोड और भारत सरकार के अध्यादेश महाराष्ट्र सरकार और स्थानिया महनगर पालिका का पालन करना होगा।
- 3- उपठेकेदार को अपने कामगारों को ब्वायलर सूट प्रदान करना आवश्यक होगा। जो उचित कलर का हो और उस पर ठेकेदार का नाम बड़े अक्षरों में लिखा हो। ठेकेदार के श्रमिक इस ब्वायलर सूट का उपयोग अपने कार्यकाल दौरान एमडीएल परिसर में करेंगे।
- 4- किसी कम्पार्टमेंट/ स्थान में कार्य पूर्ण होने पर, ठेकेदार का एजेंट श्रमिकों से सुनिश्चित करेगा कि वह स्थान उचित रूप से साफ सुथरी हालत में खाली किया गया और सभी भंगारों को नजदीक के स्क्रैप बिन में रख गया है।
- 5- एमडीएल के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह कार्य को स्थगित का सकता है यदि ठेकेदार संरक्षा प्रक्रियाओं के सम्बंध में नियम निर्देशों का पालन नहीं करता है। इसके लिए किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6- संरक्षा परिचालन का सुरक्षित आचरण सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार का एक प्रतिनिधि संरक्षा विभाग के और प्रभारी कार्मिक विभाग प्रभारी के साथ उचित सम्पर्क कायम रखेगा यह प्रभारी कार्य के अतिरिक्त होगा।
- 7- ठेकेदार के कामगारों को होने वाली सभी दुर्घटनाओं की तेजी से रिपोर्टिंग ठेकेदार/ उसके एजेंट द्वारा और तत्काल संरक्षा विभाग के प्रभारी तथा कार्मिक विभाग के प्रभारी को करना होगा। कार्य प्रभारी के अलावा इसका अनुसरण एकसीडेंट रिपोर्ट में करना होगा जो कंपनी द्वारा निर्धारित फार्म में दिया गया है।

विधुत दुर्घटना में मामले में रिपोर्ट, भारतीय इलेक्ट्रिसिटी नियम 1956 के नियम 44 ए के अनुसार करना चाहिए और फार्म भी भारतीय इलेक्ट्रिसिटी नियम 1956 के अनुलग्नक VIII के अनुसार भरना होगा। रिपोर्ट, कार्यकारी अभियंता विधुत को विधुत दुर्घटना होने के 8 घंटे

- के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए। विधुत दुर्घटना होने के बाद तत्काल मुख्य रिसेविंग स्टेशन को फोन द्वारा सूचना दे और उससे आवश्यक निर्देश प्राप्त करें।
- 8- ठेकेदार को एमडीएल के संरक्षा नियमावली का अध्ययन करना चाहिए और संरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें जहां कहीं लागू हो।
 - 9- जाब साईट की सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होनी चाहिए।
 - 10- ठेकेदार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त अग्नि शमन व्यवस्था प्रदान की गई है।
 - 11- जहां संपत्ति को खुले आग से खतरा हो, तो खुली आग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 - 12- ज्वलनशील तरल प्रदार्थ को सुरक्षित कैन में रखा जाना चाहिए अथवा एमडीएल द्वारा अनुमोदित कंटेनर में रखना चाहिए और एमडीएल में स्वीकृत स्थान पर भंडारण करना चाहिए। सभी ऐसे कंटेनर्स पर सही लेबल लगाना चाहिए।
 - 13- उपरोक्त की जाने वाली टारपोलीन फायर रिस्टाटडेंट होनी चाहिए।
 - 14- ट्रेच के अंतर्गत कटिंग के और अन्य खुदाई टालनी चाहिए।
 - 15- मेनहोल में कार्य करने वाले ठेकेदार अथवा ग्राउंड लेवल के नीचे गड्ढे में कार्य करने वाले उससे परिचित होना चाहिए और अपने कर्मचारियों को गैस के खतरों लिक्विड लेवल और उचित सावधानी बरतने की सलाह देनी चाहिए।
 - 16- ठेकेदार को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रथमोपचार बाक्स कार्यस्थल पर लगाये गये हैं और उन्हें घायल व्यक्तियों की उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करनी चाहिए।
 - 17- ठेकेदार के सभी कर्मचारियों को संरक्षा हेलमेट और अन्य पर्याप्त संरक्षा बचाव उपकरणों का प्रयोग कार्य के दौरान करना चाहिए जो उन्हें सौंपे गये है।
 - 18- यार्ड के अंदर नशीला पदार्थ लाभ बिलकुल माना है इसी तरह यार्ड के अंदर शराब पीकर आना और नशीला पदार्थ पीना गंभीर अपराध है।

- **संरक्षा और उत्पादन एक सिक्के के दो पहलू हैं।**
- **गलत केबल पकड़ने से वह छूट सकता है।**

- **दुर्घटना की सूचना:**

फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 88 के अंतर्गत रिपोर्ट करना अनिवार्य है कि नियोक्ता चोट के कारण किसी व्यक्ति के मृत्यु अथवा शारीरिक घाव होने के कारण घायल व्यक्ति 48 घंटे की अवधि या अधिक तक कार्य करने से रोका जाता है जो निम्न दुर्घटना के तुरंत बाद हो।

- **चोट के मामले में दुर्घटना/ नियोक्ता चोट की रिपोर्टिंग:**

अ) **कामगार/ स्टाफ:**

आ) सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दुर्घटना/ नियोक्ता चोट की रिपोर्टिंग हमारी डिसपेन्सी में शीघ्रतिशीघ्र एक्सीडेंट रिपोर्ट फार्म (तीन प्रतियों में) उचित रूप से भरकर भेजें।

ब) **अधिकारी :**

किसी दुर्घटना के सम्बंध में सूचना संबन्धित निदेशक को संबन्धित विभाग प्रमुख (मप्र) के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

स) **ट्रेनी/ प्रशिक्षु :**

दुर्घटना की रिपोर्ट दवाखाना में शीघ्रतिशीघ्र एक्सीडेंट रिपोर्ट फार्म उचित रूप में तीन प्रतियों में भरकर भेजें और सुनिश्चित करें कि प्रभारी प्रशिक्षु प्रशिक्षण को कथित दुर्घटना के बारे में तत्काल सूचित करें।

ड) **उप ठेकेदार के कामगार :**

वह प्रभारी जिसके न्यायाधिकार क्षेत्र में घायल ठेकेदार का कामगार कार्य कर है उसे प्रारम्भिक आवश्यक कार्रवाई घायल ठेकेदार के कामगार को हमारे दवाखाना में आवश्यक चिकित्सा/ प्रथमोपचार उपचार के लिए भर्ती करना चाहिए, तब संबन्धित उपठेकेदार को निर्देश देना चाहिए कि एक्सीडेंट रिपोर्ट-संरक्षा विभाग को भेजें।

खतरनाक घटना की रिपोर्टिंग :

फैक्ट्री अधिनियम 1984 की धारा 88 ए के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में समय सीमा के भीतर भेजे जैसा निर्धारित हो सकती है।

संबन्धित शाप/ अनुभाग विभाग के प्रभारी जहां खतरनाक घटना घटी है उनकी जिम्मेदारी है कि संबन्धित फैक्ट्री प्रबंधकों दुर्घटना के बारे में सूचना दें और आगे संरक्षा विभाग को सूचित करें।

निम्नलिखित खतरनाक घटनाएँ हैं चाहे हो या न हो, इसमें व्यक्तिगत चोट अथवा अपंगता शामिल होती है।

- i. स्टीम प्रेसर रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्र का फट जाना जो एटमासफेरिक प्रेसर से अधिक होने के कारण हो।
- ii. क्रेन, डेरीक विच हास्ट की असफलता से टूट जाना, अथवा अन्य उपकरण जिनका उपयोग व्यक्तियों या सामग्री के किसी भाग को ऊपर उठाने अथवा नीचे करने अथवा किसी क्रेन की पुष्टि करने से है।
- iii. विस्फोट के बाद जताते हुए बाहर आना, लीकेज अथवा किसी पिछले हुए धातु का बच जाना, हाट लिक्विड अथवा गैस के कारण शरीर को चोट पहुँचना।
- iv. किसी रिसीवर का विस्फोट होना अथवा कंटेनर में विस्फोट जिसका उपयोग भंडारण के लिए किसी प्रेसर पर हो जहां किसी गैस का प्रेसर एटमास फेरिक प्रेसर से अथवा किसी गैस (गैस सहित) अथवा किसी लिक्विड या किसी बेव से हो।

- v. गिर जाना अथवा किसी फ्लोर (गैलरी सबसिडेंस, छत, पल, सुरंग, चिमनी, दीवार, अथवा फैक्ट्री के किसी अंश के रूप में भवन, अथवा परिसर के भीतर जैसे कारटेज आफ फैक्ट्री।

घातक/ गम्भीर दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग करना :

प्रभारी अधिकारी किसी गम्भीर दुर्घटना/ घातक दुर्घटना के बारे में जो उसके अधिकार क्षेत्र में घटित हुई हो की रिपोर्टिंग तत्काल विभिन्न प्राधिकारियों को करेगा जिसका उल्लेख हमारे आकस्मिक योजना में किया गया है।

तदनुसार उसके द्वारा सूचना भेजे -

- 1 दूरभाष
- 2 तार/ टेलेक्स अथवा
- 3 विशेष दूत द्वारा - औद्योगिक संरक्षा और स्वस्थ्य निदेशालय तारदेव मुम्बई और स्थानीय प्रबंधन ई एस आई सी को यदि घायल व्यक्ति ई एस आई एस योजना में शामिल हो।

• **परिभाषा:**

- 1- **दुर्घटना** - कोई भी चीज जिसके बारे में जिसके कारण चोट पहुंची हो अथवा बीमारी हुई हो जैसे कि घटना जिसमें उत्पादक क्षति भी शामिल हो।
- 2- **घटना (अथवा नियर मिस)** - ये सब खतरनाक घटनाएँ हैं जैसे भाग्य से जिसके कारण कोई चोट नहीं पहुँचती है कोई वस्तु गिरती है और जिसके कारण जीवन या संपत्ति कोई हानि नहीं होती है।
- 3- **चोट** -
 - अ) **प्रथमोपचार** - कोई चोट जिसमें न तो कार्य की हानि और न तो कार्य दिवस प्रभावित होते हैं और न तो उसके द्वारा उपचार प्रभावित होता हो अथवा किसी फिजीसीयन के विशेष आदेश के अधीन हो।
 - ब) **स्लाइट** - कार्य निष्पादन प्रभावित न हो अथवा अपंगता का कारण न बनाता हो।
 - स) **माईनर** - इससे कार्य निष्पादन प्रभावित होता हो जैसे कार्य करने पर प्रतिबंध हो अथवा पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ दिनों तक आराम करने की आवश्यकता हो।
 - द) **मंजर** - इस चोट के कारण कुछ स्थाई स्वरूप की आंशिक अपंगता हो सकती है जिसके कारण दीर्घ अवधि के लिए कार्य स्थल से कामगार अनुपस्थित हो सकता है।

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

डॉकयार्ड रोड मुम्बई 400010

वर्क परमिट-----

जारी करने की तिथि एवं समय
करने हेतु

वर्क परमिट क्रम सं.

ऊंचाई पर कर्म

केवल एक पाली में कार्य करने के लिए वैध
पृष्ठ(1)

एवं कन्फिगरेशन अनचेंज रखने की शर्त पर यदि
संख्या

परिवर्तन होता है तो नया कार्य परमिट जारी करें।

2 मीटर एवं ऊपर जैसाकि

एमडीएल सेफ्टी हैंड बुक की

163 एवं फैक्ट्री अधिनियम 1948
की धारा (ii) 32 सी

1. वर्क साईट का स्थान एवं जॉब न. _____
2. जमीन/ डेक, से मीटर में कार्य स्थल की अनुमानित ऊंचाई _____
3. पूरा किये जाने वाले कार्य का विवरण _____

क्र सं.	नाम	टिकट न.	पदनाम	हेलमेट	एस/बेल्ट	एस/सूट	एस/शून्य
4.	कार्यस्थल पर नियुक्त व्यक्तियों का ब्योरा			*कर्मचारी को ऊंचाई पर कार्य करते समय निम्नलिखित पीपीई को पहनना आवश्यक है।			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

(*) आवश्यक अतिरिक्त संरक्षा गजट की सूची बनाये/ पहने यदि कोई हो जैसे
आ) ग्लोब्स (), ब) गूगल्स (), स) इयर प्लग्स ()।

5. ऊंचाई पर कार्य करने के लिए सहयोगी मदों की चेक आफ लिस्ट

+5.1 कार्य स्थल पर प्रदान की गई स्कैफोल्डिंग/स्टेजिंग/
हैरी पारांजा/प्लेटफार्म उपयोग के लिए स्कैफोल्डिंग
समिति द्वारा उपयोग के लिए प्रमाणित है एवं
तत्पश्चात निरीक्षण एवं तिथि पर अनुमोदित है।

हाँ नहीं लागत नहीं

+5.2 कार्य स्थल पर कोई लूज टूल/सामग्री नहीं है।

- +5.3 कार्य स्थल पर आने जाने के लिए रास्ता, रोप लोड/बुडेन्स्टील लैडर/रंग आफ स्ट्रक्चर चेक किया गया एवं सुरक्षित है।
- +5.4 कार्य स्थल विधुत आपूर्ति/रेडियो वेवर/कम्प्रेसड एअर/प्रेसराईस्ड लिक्विड्स से सुरक्षित है।
- +5.5 कार्य स्थल और ग्राउंड लेवल के बीच संचार सुविधा बैटरी परिचालित मेगाफोन/वाकी टाकी/एएल मेगाफोन/फ्लेज/वीटेल/हैंडसाईन स्थापित किया गया है।

नोट: (*i) पुष्टि के लिए () चिन्हित है एवं (x) नहीं के लिए है।
(+ii) को हटाये जो लागू नहीं है।

6. मैं एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ कि सभी कर्मचारी जो उपरोक्त कार्य स्थल पर ऊंचाई पर कार्य कर रहे हैं उनको किये जाने वाले कार्य के बारे में बताया गया है और सुरक्षित प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

कार्य स्थल प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

विभाग:

यार्ड:

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए संरक्षा निरीक्षण रिपोर्ट

(नोट: कृपया टिप्पणी करें, यदि उत्तर 'नहीं' हो)

बिन्दु	आवजरवेशन	टिप्पणी
1. क्या कामगार जानते हैं कि कैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है?	हाँ / नहीं	
2. क्या उपलब्ध कराये गये सुरक्षा उपकरण उपयोग के लिए उचित हैं?	हाँ / नहीं	
3. क्या सिर सुरक्षा के लिए दीये गये उपकरण बचाव के लिए उचित हैं?	हाँ / नहीं	
4. क्या किसी अन्य प्रकार का सिर सुरक्षा उपकरण आवश्यक है?	हाँ / नहीं	
5. क्या आवश्यक जॉब के लिए नेत्र सुरक्षा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है?	हाँ / नहीं	
6. क्या उपरोक्त ऐसे कार्य को करते समय परिचालक/कामगार प्रदान किये गये नेत्र सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं?	हाँ / नहीं	
7. यदि आवश्यक हो, क्या कोई उपकरण ध्वनि के विरुद्ध सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया है?	हाँ / नहीं	
8. क्या हाथ सुरक्षा उपकरण उपयोग के लिए आवश्यक है?	हाँ / नहीं	
9. क्या प्रदान किये गये हाथ सुरक्षा उपकरण उपयोग के लिए उचित हैं?	हाँ / नहीं	
10. क्या कामगार उचित ब्वायलर सूट पहनते हैं?	हाँ / नहीं	
11. क्या प्रत्येक परिचालक/कामगार सेफ्टी बूट का उपयोग करते हैं?	हाँ / नहीं	
12. क्या जॉब के लिए सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करते हैं?	हाँ / नहीं	
13. क्या किस प्रकार के या प्रदान किये गये सेफ्टी बेल्ट जॉब के लिए उचित हैं?	हाँ / नहीं	

टिप्पणी:

सुरक्षा उपकरणों की स्थिति - सर्वोत्तम / बढ़िया / औसत / खराब

लिफ्टिंग/ सिफ्टिंग/ हैंडलिंग के लिए संरक्षा निरीक्षण रिपोर्ट
उपकरण

(टिप्पणी : यदि उत्तर 'नहीं' में हो तो टिप्पणी दीजिये)

बिन्दु	आवसरवेशन	टिप्पणी
1. क्या सभी लिफ्टिंग/ सिफ्टिंग/ हैंडिंग उपकरण सेफ वर्किंग लोड से चिन्हित है?	हाँ / नहीं	
2. क्या सभी उपकरणों का परीक्षण और जांच निगम तिथि पर किया गया है?	हाँ / नहीं	
3. क्या सभी उपकरण (स्लिग सहित) अच्छी हालत में है?	हाँ / नहीं	
4. क्या उपकरणों के सभी अंश उचित रूप से अनुरक्षित है?	हाँ / नहीं	
5. क्या सम्बंधित लोग जानते हैं कि कैसे उपकरणों को संरक्षा पूर्व व परिचालित करना है?	हाँ / नहीं	
6. क्या सभी कंट्रोल स्वीच वर्किंग आर्डर में हैं?	हाँ / नहीं	

टिप्पणी :

लिफ्टिंग उपकरणों की स्थिति- सर्वोत्तम / अच्छा / औसत / खराब

- **मोबाईल उपकरणों के लिए संरक्षा निरीक्षण रिपोर्ट**
(नोट: टिप्पणी कीजिए, यदि उत्तर न हो,)

बिन्दु	आवसरवेशन	कमेंट्स
1. क्या सभी मोबाईल उपकरण सही अवस्था में हैं?	हाँ / नहीं	
2. क्या सभी मोबाईल उपकरण उचित रूप से अनुरक्षित हैं?	हाँ / नहीं	
3. क्या परिचालन क्षेत्र में पर्याप्त वार्निंग साईट प्रदर्शित गई हैं?	हाँ / नहीं	
4. क्या चालक उपकरण चलाने के लिए पर्याप्त सक्षम एवं प्रशिक्षित किये गये हैं?	हाँ / नहीं	
5. क्या गैंगवेज स्पष्ट रूप से चित्रित है?	हाँ / नहीं	
6. आवधिक परीक्षण प्रमाण पत्र रेकार्ड उपलब्ध हैं?	हाँ / नहीं	

टिप्पणी: मोबाईल लिफ्टिंग उपकरण की हालत- सर्वोत्तम / अच्छा / औसत / खराब

“लिफ्टिंग / सिफ्टिंग / हैंडलिंग उपकरणों” की सूचना रिपोर्ट

(निम्नलिखित सूचना सम्बंधित विभागों द्वारा भरी जानी चाहिए और सयंत्र सुरक्षा निरीक्षण राउंड से पहले उपलब्ध करना होगा)।

I. लिफ्टिंग टैक्स एवं गीयर्स

क्र सं.	उपकरण का प्रकार (ब्योरा)	क्षमता	न. आफ	पहचान कोड सं.	परीक्षण जांच नियत तिथि
अ	<u>वायर रोप स्लिंग</u>				
ब	<u>चेन पूली ब्लॉक</u>				
स	i) <u>“डी” शाकल</u>				
	ii) <u>बो शाकल</u>				
	iii) <u>‘ओ’ शाकल</u>				
द	<u>शीव</u>				

II. प्रेसर वेजल की सूची - (अ) एअर रीसीवर

क्रम सं.	उपकरण प्रकार ब्योरा	क्षमता	न. आफ	स्थान	परीक्षण जांच नियत तिथि

III. मोबाईल लिफ्टिंग उपकरण की सूची

(क) ईओटी क्रेन, (ख) फोर्क लिफ्ट, (ग) मोबाईल क्रेन - लीमा/एचएम/ कोलीज/ एस्कोर्ट्स, (घ) मैनीटोवक क्रेन, (ङ) लेवल लुफिंग क्रेन

क्रम सं.	उपकरण प्रकार ब्योरा	क्षमता	न. आफ	स्थान	परीक्षण जांच नियत तिथि

12. SAFETY CODE FOR SUB-CONTRACTOR

Company offers sub-contract jobs to the contractor when company's infra structure facilities are not suitable to carry out such jobs or jobs which are found more economical in comparison with company's production cost.

In the event of any accident happening in our yard resulting in loss of lives of otherwise damaging any part of the property, the contractor shall be required to make good the loss to the Company and shall be responsible for all consequences that follow from loss and / or injuries to the persons involved in such accidents.

It will be essential for contractor to ascertain the standard precautions which contractor is required to observe in discharging his work as per the standards prevalent in MDL. The decision of MDL in matters concerning safety, shall be final and binding on the contractor.

1. The contractor must observe all safety precautions in connection with the work to be performed by him, his agents or labourers.
2. All regulations, codes and ordinances of the Govt. of India, Govt. of Maharashtra and local Municipal Corporation regarding safety will be applicable to the contractors.
3. The subcontractor shall be required to provide their workman with Boiler suits of suitable colour with the name of the contractor on boiler suit in prominent letters. The workmen of the Contractor must wear this boiler suit throughout their working while in premises of MDL.
4. On completion of work in any compartment / location, the contractor or his agents or labourer must ensure that the place is left in a reasonably clean state and all scrap is transferred to nearby scrap-bins.
5. MDL reserves its right to suspend the work in the event of the contractor not complying with the rules instructions with regard to safety practices for which no claim of any kind will be entertained.
6. To ensure the safe conduct of safety operations a representative of the contractor should maintain appropriate contact with the OIC of safety deptt. and OIC personnel deptt. In addition to the OIC of the works.
7. All accidents occurring to contractor's personal must be reported promptly and immediately by the contractor or his agent to the OIC of safety deptt. and OIC personnel deptt. In addition to the OIC of the works and this should be followed by an accident report in the form prescribed by the company.

In the case of electrical accidents, report should be made in accordance with Rule 44-A of Indian Electricity Rules 1956 and the form shall be in accordance with Annexure-VIII to the Indian Electricity Rules 1956.

The report should be furnished to the Executive Engineer, Electrical, within 8 hours of occurrence of electrical accident. Immediately on occurrence of electrical accident the operator in the Main Receiving Station should be informed on the phone and necessary instructions taken from him.

8. Contractor should go through MDL safety manual and follow the safety procedures wherever applicable.
9. The contractor should be responsible for the cleanliness of the job site.
10. The contractors should ensure that adequate fire extinguishing arrangements are provided.
11. Where property is exposed to the hazards of fire, open fires will not be permitted.
12. Inflammable liquids must be handled in safe cans or containers approved by MDL and shall be stores in the locations acceptable to MDL. All such containers must be clearly labelled.
13. Tarpaulin used should be of fire retardant.
14. Under cuttings of trenches and other excavations should be avoided.
15. The contractors working in manholes or pits below the ground level must be acquaint himself and advise his employees of the hazards of gas or liquid level and take proper precautions.
16. Contractor should ensure that First Aid boxes are provided at the work spot and they should ensure proper medical care of injured persons.
17. All the employees of the contractors should wear approved safety helmets and other adequate safety protective equipments for the work they are entrusted with.
18. Bringing intoxicants into the yard is strictly forebidden. Likewise entering the yard under the influence and intoxicants is a serious offence.

● **SAFETY AND PRODUCTION ARE
TWO SIDES OF THE SAME COIN**

● **GET RIDE ON FAULTY CABLES
THEY GET RID OF YOU**

- **NOTICE OF ACCIDENT:**

Under Section 88 of Factories Act 1948 it is obligatory to report an accordance employment injury which causes death or body injury by reason of which the injured person is prevented from working for a period of 48 hours or more, immediately following the accident.

- **REPORTING OF ACCIDENT / EMPLOYMENT INJURY IN CASE OF INJURY TO:**

- a) **WORKER / STAFF:**

Ensure that every accident / employment injury to be reported to our Dispensary at the earliest by duly filled in Accident Report Form (in triplicate).

- b) **OFFICER:**

Information regarding an accident is to be forwarded to the concerned Director through concerned Head of Department (GM).

- c) **TRAINEE / APPRENTICE:**

Report accident to our Dispensary at the earliest by duly filling an Accident Report Form in the triplicate and ensure that Officer-in-charge Training Department is also to the notified about said accident immediately.

- d) **SUB-CONTRACTOR'S WORKER:**

The Officer-in-charge under whose jurisdiction the injured contractor worker is working has to initiate necessary action to admit the injured contractor's worker in our dispensary for required medical / first aid treatment. Then instruct the concerned sub-contractor to forward an accident report to Safety Department.

- **REPORTING OF DANGEROUS OCCURANCE:**

Under Section 88A of Factories Act 1948, it is obligatory to send notice there of in prescribed format and within time as may be prescribed.

The Officer-in-charge of concerned shop / section / department where dangerous occurance took place has to intimate about that incident to respective Factory Manager and further to inform Safety Department.

Following are Dangerous Occurance whether or not they are involved with personal injury or disablement.

- i) Bursting of vessel used for containing steam pressure under pressure greater than atmospheric pressure.
- ii) Collapse as failure of crane, derrick winch hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods on any part thereof or confirming of a crane.

- iii) Explosion of a receiver or container used for storage at a pressure greater than atmospheric pressure of any gas or any gases (including air) or any liquid or any solid.
- iv) Explosion the burning out, leakage or escape of any Molten metal, hot liquid or gas causing boldily injury.
- v) Collapse or subsidence of any floor gallery, roof, bridge, tunnel, chimney, wall or building forming part of factory or within the compound as cartage of factory.

- **REPORTING OF FATAL / SERIOUS ACCIDENT:**

The Officer-in-charge will inform about any serious accident / fatal (Death) accident occurred in his jurisdiction immediately to various authorities as mentioned in our Contingency Plan.

Accordingly send the Notice thereof by

- 1) Telephone
- 2) Telegram / Telex or
- 3) Special Messenger

to the Directorate of Industrial Safety & Health, Tardeo, Mumbai, and to the Local Manager E.S.I.C. if injured person is covered under ESIC Scheme.

- **DEFINITIONS:**

- 1) **ACCIDENT**

Anything about he could have caused injury or illness such as event may also involve damage product loss or

- 2) **INCIDENT (OR NEAR-MISS)**

These are dangerous occurrences such fortunately did not result in an injury an object fell down and there was no damage to life or property.

- 3) **INJURY**

- (a) **First Aid**

Any injury which involves neither loss working nor restricted working days and does not injure treatment by or under the specific orders of physicians.

- (b) **Slight**

Not attesting work performance or causing disability.

- (c) **Minor**

Affecting work performance such as restrictions of activities or a need to take rest a few days to fully recover.

- (d) **Major**

Which results on some permanent partial disability of attempt work performance in the longer term such as prolonged absence from work.

MAZAGON DOCK LIMITED
DOCKYARD ROAD, MUMBAI-10

DATE & TIME OF ISSUE OF
WORK-PERMIT _____

WORK-PERMIT SR. NO.
FOR WORKING AT HEIGHT

Valid for one working shift only
& subject to configuration kept
unchanged. If changed, issue new
work-permit.

2 meters & above as per (I) page
No. 163 of MDL Safety Hand Book &
(ii) section 32c of Factories Act. 1948

1. Location of work site & job No. _____

2. Approximate Height of workplace
from ground / deck, in Mtrs. _____

3. Details of work to be carried out _____

4.	Details of Persons deployed at work-site			*Following PPE's to be essentially worn while working at height by the employees.				
	Sr. No.	Name	T. No.	Designation	Helmet	S/Belt	S/Suit	S/Shoes
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

(*) List-out additional Safety gadgets required / worn, if any. Like
a) gloves (), ,b) goggles (), c) ear-plugs ().

5. Check-of list for associated items for working at height

- | | YES | NO | NOT APPLICABLE |
|---|-----|----|----------------|
| +5.1 Scaffolding / Staging / Hary Paranja / Platform provided at site has been certified for usage by scaffolding Committee on _____ & subsequently inspected & approved on _____ | | | |
| +5.2 No loose tools / material are at the worksite. | | | |
| +5.3 Access To & From the worksite by ropeladder / wooden-steel ladder / rung of structure is checked & safe | | | |
| +5.4 Worksite is protected from electrical supplies / radio waver / compressed air / pressurised liquids. | | | |

+5.5 Communication facility between worksite & ground level through battery operated mega-phone / walkie talkie / Al. Megaphone / flange / whittel / handsigns is established

NOTE: (' * ' I) Thick mark at () for affirmation & (x) for notation.
('+' ii) Strike-off which is not applicable.

6. I hereby confirm that all the employees working at height at the above mentioned site have been briefed about the activity to be carried out and the safe procedures to be followed.

SIGNATURE OF WORKSITE INCHARGE

NAME:

DESIGNATION:

DEPTT.:

YARD:

SAFETY INSPECTION REPORT FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

(NOTE: Give comments if the answer is 'NO')

<u>POINTS</u>	<u>OBSERVATION</u>	<u>COMMENTS</u>
1. Whether worker known how to use/ wear personal protective equipments?	YES/NO	
2. Are the type of protective equipments provided suitable for use?	YES/NO	
3. Are the type of Equipment provided for head protection suitable for use?	YES/NO	
4. Does any other type of head protection is required?	YES/NO	
5. Are the jobs required eye protection clearly specified?	YES/NO	
6. Does Operator / Worker use the eye protective equipment provided to him while doing above such jobs?	YES/NO	
7. If necessary, does an equipment provided to protect against noise?	YES/NO	
8. Whether use of hand protection equipment is necessary?	YES/NO	
9. Are the type of hand protective equipments provided suitable for use?	YES/NO	
10. Whether workers are wearing proper fitting clothing? (Boiler suit)	YES/NO	
11. Whether every operator / worker use the Safety Foot Wear?	YES/NO	
12. Does the use of Safety Belt necessary for the job?	YES/NO	
13. Whether type or Safety Belt provided are suitable for the job?	YES/NO	

REMARKS:

Status of Protective Equipments – OUTSTANDING / GOOD / AVERAGE / POOR.

**SAFETY INSPECTION REPORT FOR LIFTING / SHIFTING / HANDLING
EQUIPMENT**

(NOTE: Give Comments, if the answer is 'NO')

<u>POINTS</u>	<u>OBSERVATION</u>	<u>COMMENTS</u>
1. Are all lifting / shifting / handling appliances marked with safe working load (SWL)?	YES/NO	
2. Are all appliances tested and examined for due date ?	YES/NO	
3. Are all appliances (including slings) in good condition?	YES/NO	
4. Are all parts of the appliances properly maintained?	YES/NO	
5. Whether concerned people know how to use, operate the equipment safety?	YES/NO	
6. Are all control switches in working order?	YES/NO	

REMARKS:

Status of lifting equipment – OUTSTANDING / GOOD / AVERAGE / POOR.

• **SAFETY INSPECTION REPORT FOR MOBILE EQUIPMENT**

(NOTE: Give comments, if the answer is 'NO')

<u>POINTS</u>	<u>OBSERVATION</u>	<u>COMMENTS</u>
1. Are all mobile equipments in good condition?	YES/NO	
2. Are all parts mobile equipment properly maintained?	YES/NO	
3. Are there adequate warning signs displayed at operating area?	YES/NO	
4. Are drivers adequate qualified & trained for driving the equipment?	YES/NO	
5. Are gangways cleanly marked?	YES/NO	
6. Periodic test certificate record is available?	YES/NO	

REMARKS:

Status of mobile lifting equipment – OUTSTANDING / GOOD / AVERAGE / POOR.

INFORMATION REPORT FOR “LIFTING/SHIFTING/HANDLING EQUIPMENTS”

(Following information is to be filled in by the concerned departments and made it available before Plant Safety Inspection Round).

(I) LIST OF LIFTING TAKELES & GEARS

Sr. No.	Type of Equipment (Description)	Capacity	No. Off	Identification Code No.	Testing & Exam. Due date
a.	<u>WIRE ROPE SLING</u>				
b.	<u>CHAIN PULLEY BLOCK</u>				
c.	i) <u>“D” Shackle</u> ii) <u>Bow Shackle</u> iii) <u>‘O’ Shakele</u>				
d.	<u>Sheave</u>				

(II) LIST OF PRESSURE VESSEL – a) AIR RECEIVER

Sr. No.	Type of Equipment (Description)	Capacity	No. Off	Location	Testing & Exam. Due date

(III) LIST OF MOBILE LIFTING EQUIPMENT

a) EOT CRANE, b) FORK LIFT, c) MOBILE CRANE-LIMA/HM/COLES/ESCORPTS, d) MANITOWAC CRANE, e) LEVEL LUFFING CRANE

Sr. No.	Type of Equipment (Description)	Capacity	No. Off	Location	Testing & Exam. Due date

